कार्यालय प्रथम अपील प्राधिकारी, आर.एस.आर.डी.सी. लि.

अपील संख्या 32/2019

मैसर्स डेनियल फर्नीचर (पी) लिमिटेड

बनाम

परियोजना निदेशक युनिट – सीकर, आर.एस.आर.डी.सी. व अन्य

प्रथम अपील प्राधिकारी – सुबोध मलिक (महाप्रबन्धक)

उपस्थित –

1. अपीलार्थी – श्री हिम्मतराम चौधरी,
2. प्रत्यार्थी – परियोजना निदेशक यूनिट –सीकर, आर.एस.आर.डी.सी.

निर्णय

दिनांक :- 02·9·2019

यह कि वर्तमान अपील प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 सपठित राजस्थान लोक उपापन में पारदिर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत अपीलार्थी **मैसर्स डेनियल फर्नीचर (पी) लिमिटेड** ने दिनांक 13.08.2019 को जरिये श्री हिम्मतराम चौधरी, प्रस्तुत कर परियोजना निदेशक यूनिट– सीकर, आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा अपलोड तकनीकी समिति की रिर्पोट दिनांक 08.08.2019 को चुनौती दी है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है।:–

यह है कि आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा ई – निविदा सूचना संख्या 071/2019–20 दिनांक 03.07.2019 को जारी कर मेडिकल कॉलेज सीकर में उपयोग हेतु राजकीय सूक्ष्म एवं लघु औधोगिक ईकाईयों से फनीर्चर क्रय करने हेतु सविंदा के लिए कोई तकनीकी एवं वित्तीय ऑनलाईन निविदायें निर्धारित प्रपत्र में ई–इक्यूपमेन्ट प्रक्रिया अन्तर्गत आंमत्रित की गई है। निविदा विज्ञापित कर राजकीय सूक्ष्म एंव लघु औधोगिक इकाईयों के द्वारा दिनाक 05.07.2019 से 15.07. 2019 कों सांयकाल 6.00 बजे तक निविदा अपलोड करने का समय प्रदत्त किया गया। कुल तीन निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा अपलोड की गई सभी निविदाकर्ताओ को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सही पाया गया।

अपीलान्ट द्वारा तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2019 में मैसर्स रवि इन्टरनेश्नल एवं मैसर्स मोदी फनीर्चर अनलिमिटेड की तकनीकी मूल्यांकन समिति की निविदा को स्वीकार करने के विरूद्व निम्नलिखित आधारों पर अपील दायर कर उपरोक्त दोनो फर्मो की निविदाओं को अस्वीकार /असफल करने हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी की मिमो ऑफ अपील दिनांक 13.08.2019 एवं रिजाईन्डर दिनांक 24.08. 2019 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मैसर्स रवि इन्टरनेश्नल जयपुर द्वारा निविदा की शर्त संख्या 6 के अनुरूप एकल समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, जी.एस. टी., रिटर्न की जी.एस.टी.आर. – 3(बी) की प्रति, तकनीकी क्षमता हेतु स्वयं प्रमाणित अनेक्जर – ई की हस्ताक्षरित प्रति, पी.एफ. लाईसेन्स एवं औधोगिक विभाग का स्माल स्कैल यूनिट संचालन की घोषणा गलत प्रस्तुत कि गई है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा मैसर्स मोदी फनीर्चर अनलिमिटेड जयपुर द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात निविदा के शर्तो के अनुरूप नही होते हुये भी दोनो फर्मो को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी निविदा में सफल घोषित करने को चुनौति देते हुये दोनो फर्मो की तकनीकी निविदा को असफल घोषित करने की राहत चाही गई है।

परियोजना निदेशक यूनिट सीकर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया, अपीलान्ट के सभी आधारों/ कथन को सही नही मानते हुये तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किसी भी प्रकार की भूल एवं त्रृटि नही करने के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

(3)

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मिमो ऑफ अपील, रिज्योईन्डर, उसके साथ प्रस्तुत अभिलेख एवं प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब, अभिलेख का अनुशीलन, अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील में मैसर्स रवि इन्टरनेशनल,जयपुर एवं मैसर्स मोदी फर्नीचर अनलिमिटेड, जयपुर को अपील में पक्षकार नही बनाने के कारण दोनो फर्मो को सुनवाई का मौक दिये बिना उनके द्वारा निविदा में प्रस्तुत दस्तावेजात को निविदा में वर्णित शर्तो के अनुरूप है अथवा नही पर कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही होगा।

मेरे द्वारा निविदा की शर्त संख्या 6 जिससे संवेदको से पॉच वर्षो में अनुमानित लागत का पच्चास प्रतिशत या अधिक राशि का समान प्रकार एकल कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र वांछित था। उसके क्रम मे मैसर्स रवि इन्टरनेश्नल, जयपुर एवं मैसर्स मोदी फर्नीचर अनलिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को देखा गया प्रथम दृष्टतया में यह बात सही पाई गई कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र एवं उसके साथ संलग्न कार्य का विवरण पूर्ण रूप से यह स्थिति स्पष्ट नही करते है कि उनके द्वारा एकल कार्य में निविदा में वांछित फर्नीचर बनाने/ सप्लाई करने का वांछित 50 प्रतिशत का अनुभव प्राप्त है। फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन समिति के स्तर पर निविदा की शर्त संख्या 6 की पालना किया जाना सदभावना में कि गई भूल है, ना कि किसी के साथ पक्षपात करना। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तीनों फर्मो के तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा में शामिल तीनों ही निविदा को सफल घोषित किया है एवं वित्तिय निविदा के आधार पर तीनों ही फर्मो को निविदा में वांछित फर्नीचर सप्लाई करने का मौका उनके द्वारा दी गई दर से दिया जाना है, इसलिए फर्नीचर सप्लाई में भी किसी भी फर्म के साथ पक्षपात करने का संदेह नही होने कारण मै इस निर्णय पर पहुचा हूँ कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा उपरोक्त दोनो निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज का परिशिलन/जॉच करने में सदभावना से भूल हुई हैं।

परियोजना निदेशक यूनिट सीकर द्वारायह अनुरोध किया गया है कि निविदा स्वीकृत करने की सीमा निकल चुकी है, अब आज की स्थिति में नवीन निविदा जारी किया जाना ही न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलान्ट की अपील को निस्तारित करते हुये निविदा स्वीकृत करने की समय सीमा निकल जाने के आधार पर मेडिकल कॉलेज सीकर में उपयोग हेतु राजकीय सूक्ष्म एवं लघु औधोगिक ईकाईयों से फर्नीचर क्रय करने हेतु पुनः निविदा जारी की जाये। सभी परियोजना निदेशक को यह निर्देश जारी करने हेतु कि निविदा में प्राप्त दस्तावेजो का परिशिलन एवं जाँच पूर्ण रूप से निविदा में वर्णित शर्तो के अनुरूप की जाये एवं शर्तो के अनुरूप ही दस्तावेजात प्राप्त किये जाये, निर्णय की प्रति उपमहाप्रबन्धक (प्रशासन) को दी जाये।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित कर आदेश आज दिनांक 2.9.2019 को सुनाया गया ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार ,

(महाप्रबन्धक)

आर.एस.आर.डी.सी. लि. जयपुर ।